उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5

संख्याः क0नि0–5–2757/11–2008–500(35)/2000

लखनऊ, दिनांक 09 जुलाई, 2008

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित्त जारी की गयी सरकारी अधिसूचनाओं का आशिंक उपान्तर करके राज्यपाल दिनॉक 1 अप्रैल, 2008 से दिनॉक 31 मार्च, 2009 तक की अवधि के लिए समस्त सरकारी विभागों एवं उनके अधीन कार्यरत संगठनो, चाहे सरकारी हो या अर्द्ध सरकारी, यथा उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा यथसंशोधित उत्तर प्रदेश नगर–योजना और विकास अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) के अधीन गठित विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 01 सन् 1966) के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद और उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण और कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 01 सन् 1956) के आधीन रजिस्ट्रीकृत उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) के अधीन बनायी गयी उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद और सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सूडा एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1961) के अधीन बनायी गयी जिला पंचायत और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 02 सन् 1959) अथवा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 02 सन् 1916) के अधीन गठित स्थानीय निकाय से सम्बन्धित एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन उद्योग निदेशालय द्वारा प्रशासित औद्योगिक आस्थानों की स्थावर सम्पत्ति को किसी व्यक्ति के पक्ष में प्रथम बार विक्रय द्वारा अन्तरण करने के लिए उनके द्वारा निष्पादित हस्तान्तरण पत्र के लिखत पर 1899 के उक्त अधिनियम की अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन प्रभार्य शुल्क हस्तान्तरण पत्र के ऐसे लिखत में दिये गये प्रतिफल की धनराशि से अधिक की धनराशि पर प्रभार्य शुल्क की सीमा तक छूट प्रदान करते है।

आज्ञा से,

ह0अस्पष्ट

गोविन्दन नायर,

प्रमुख सचिव।

The governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no.K.N.5-2757/XI-500 (35)-2000, dated: July 09, 2008 for general information.

K.N.5-2757/XI-500 (35)-2000,
Dated: July 09, 2008
Notification

IN exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in partial modification of Government notifications issued in this behalf, the Governor is pleased to remit from April 1, 2008 to March 31, 2009 the duty chargeable under clause (a), of Article 23 of Schedule I-B of the said Act of 1899 on the instrument of conveyance of immovable property belonging to all the government departments an the instrument of conveyance of immovable property belonging to all the government departments an the organizations working under them, whether Government or semi Government such as a development Authority constituted under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President Act no. 11 of 1973) as re-enacted with modification by the Uttar Pradesh, President's Act's (re-enactment with modifications) Act, 1974 (U.P. Act no. 30 of 1974), an Industrial Development Authority constituted under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 06 of 1976), the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad established under the Uttar Pradesh Awas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (U.P. Act no. 01 of 1966), and the Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation registered under the Companies Act, 1956 (Act no. 01 of 1956) and the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Parishad constituted under the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (Act no. 25 of 1964), Suda, registered under the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Act, 1961 (Act no. 43 of 1961) and local body constituted under the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 02 of 1959) or under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. 02 of 1916) and the Industrial Development Department, Government of Uttar Pradesh executed by themselves to transfer an immovable property first time in favour of a person to the amount of duty chargeable on the amount that exceeds the amount of duty chargeable on the consideration as set forth in such instrument of conveyance.

BY order,
Sd/-Illegible
GOVINDAN NAIR,
Pramukh Sachiv.